रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2386] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 2016/आश्विन 9, 1938

No. 2386] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 2016/ASVINA 9, 1938

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2016

का.आ. 3109(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ उनतीसवां संशोधन नियम, 2016 है।

   (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, -

   (क) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 24 में मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

   "(क) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं और भारतीय तीर्थयात्री पोत नियम, 1933 तथा भारत से पाकिस्तान स्थित धर्म-स्थानों को और पाकिस्तान से भारत स्थित धर्म-स्थानों को आने-जाने वाले तीर्थ यात्रीदल जिसमें हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों का प्रशासन सम्मिलित नहीं है।";

   (ख) "अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

   "21. हज यात्रा का प्रबंधन, जिसमें हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों का प्रशासन भी सम्मिलित है।"।

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/3/2016-मंत्रि.]

दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2016

S.O. 3109(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Ninth Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the SECOND SCHEDULE,-

(a) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", in entry 24, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

"(a) Pilgrimages to places outside India and the Indian Pilgrim Ships Rules, 1933, and pilgrim parties from India to shrines in Pakistan and *vice versa* excluding administration of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959) and the rules made thereunder.";

(b) under the heading "MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (ALPASANKHAYAK KARYA MANTRALAYA)", after entry 20, the following entry shall be inserted, namely:—

"21. Management of Haj Pilgrimage, including administration of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959) and the rules made thereunder.".

PRANAB MUKHERJEE

PRESIDENT

[F. No. 1/21/3/2016-Cab.]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.01 11:58:34 +05'30'